न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या – 59/2016
आवदा बेगम बनाम राज्य एवं अफसाना बेगम

– :: आदेश :: –

21.1.18 प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के वाद संख्या–26/2014–15 में दिनांक 30.01.2015 को पारित आदेश ज्ञापांक – 121–1, दिनांक 30.01.2015 द्वारा अपीलवाद को खारीज कर दिये जाने के विरुद्ध उप निदेशक, कल्याण विभाग, कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में दाखिल किया गया जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 3226 दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका – 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थी का कहना है कि महिषी प्रखंड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत–भेलाही के आँगनबाड़ी केन्द्र टोला बहोरवा उत्तरी, वार्ड संख्या–13 के केन्द्र संख्या – 88 हेतु सेविका पद हेतु चयन के लिए अभ्यर्थी थी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी द्वारा नाजायज तरीके से उनके स्थान पर विपक्षी अफसाना बेगम पति मो0 रकीमउद्दीन का चयन कर दिया गया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में अपील दायर की। जिसे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बिना उनके कागजातों का सही रूप से अवलोकन किये बिना खारीज कर दिया गया। केन्द्र संख्या–88, वार्ड संख्या–13, टोला–बहोरवा, पंचायत–भेलाही, प्रखंड–महिषी का सामान्य वर्ग बाहूल्य केन्द्र है के उक्त उक्त केन्द्र हेतु जो मैपिंग पंजी आँगनबाड़ी सेविका द्वारा तैयार किया गया, उसमें गलत रूप से रेसपोडेन्ट संख्या – 3 का नाम मतदाता सूची में नहीं होने के बावजूद मैपिंग पंजी में दर्ज किया गया। बाल विकास परियोजना कार्यालय, महिषी द्वारा आंगनबाड़ी सेविका पद हेतु जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया उसके अनुरूप अपीलार्थी अपनी तमाम शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन ससमय कार्यालय में दाखिल की और उनके अतिरिक्त इस पद हेतु चार अभ्यर्थी द्वारा आवदेन दाखिल किया गया। उक्त पद के चयन हेतु बाल विकास परियोजना कार्यालय, महिषी द्वारा जो मेधा सूची का प्रकाशन किया गया उसमें क्रमांक – 1 पर फरहत जहां, क्रमांक – 2 पर विपक्षी अफसाना बेगम, क्रमांक – 3 पर अपीलार्थी का नाम तथा क्रमांक – 4 पर शाईता परवीन, क्रमांक – 5 पर नुजहत प्रवीण का नाम दर्ज था। उक्त पद के चयन हेतु दिनांक 21.06.2014 को आम सभा का आयोजन किया और यह आम सभा पदेन सचिव, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी की उपस्थिति में प्रारंभ हुई । मेधा सूची के क्रमांक – 1, 4 एवं 5 के अभ्यर्थी के अनुपस्थित रहने के कारण क्रमांक – 2 एवं तीन के अभ्यर्थी के नाम पर आम सभा में विचार किया गया तथा आम सभा में जब विपक्षी अफसाना बेगम के सेविका पद के चयन हेतु नाम की घोषणा की गई तो आम सभा में उपस्थित पोषक क्षेत्र के सभी जनता द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई कि विपक्षी अफसाना बेगम पति रकीमदउद्दीन का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा अफसाना बेगम के स्थान पर नाजरा बेगम पति रकीमउद्दीन का नाम मतदाता सूची में दर्ज है तथा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किया गया आवासीय प्रमाण पत्र जो वर्ष 2010 ई० का है जिसके भाग संख्या – 203 के क्रमांक – 262 पर विपक्षी का नाम दर्ज होने का वर्णन किया गया है किन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना अधिकार के तहत प्राप्त कागजात के तहत मतदाता सूची के क्रमांक – 262 पर इरशाद आलम पिता मो0 मोकाविल का नाम दर्ज है तथा उक्त मतदाता सूची क्रमांक – 222 पर नाजरा बेगम पति रकीमउद्दीन का नाम दर्ज है। अपीलार्थी तथा आम जनता द्वारा यह भी आपत्ति व्यक्त किया गया कि चूँकि अपीलार्थी 10 वर्षो से अन्य वार्ड में सहायिका के पद पर कार्यरत है तथा नये मैपिंग पंजी के अनुसार उसका नाम वार्ड संख्या – 13 के मैपिंग पंजी में पड़ गया है तथा उनका कार्य अन्य वार्ड में काफी संतोषप्रद रहा है। जिस वजह से सेविका पद हेतु अपीलार्थी सुयोग्य उम्मीदवार है किन्तु चयन समिति द्वारा यह आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया गया। आम सभा में जनता द्वारा यह भी आपत्ति की गई कि विपक्षी के नाम से भेलाही पंचायत में पैक्स के अन्तर्गत निर्वाचित सदस्य है तथा वह पंचायत की एक प्रतिनिधि के बावजूद इसके चयन समिति द्वारा अपीलार्थी के आपत्ति को खारीज करने का चयन समिति द्वारा प्रयास किया जाने लगा। अपीलार्थी एवं पोषक क्षेत्र के जनता द्वारा यह भी आपत्ति दर्ज की गई कि विपक्षी का नाम भेलाही पंचायत के वार्ड संख्या – 02 के क्रमांक – 123 पर अफसाना बेगम पिता हरासत हुसैन दर्ज है तथा वार्ड संख्या – 13 में रकीम उद्दीन की कोई पत्नी का नाम नाजरा बेगम है जिस वजह से विपक्षी का चयन आंगनबाड़ी सेविका के पद पर नहीं की जा सकती, इतना ही

28.1.18

नहीं विपक्षी धनाढ्य परिवार से आती है वो उन्हें ईट भटठा तथा अन्य व्यवसाय है, जिस वजह से वह इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है बल्कि अपीलार्थी ही उक्त पद हेतु सुयोग्य उम्मीदवार है तथा वे ही तमाम अर्हताओं को पूरा करती है।

विपक्षी अफसाना वेगम द्वारा लिखित बयान में निवेदन किया गया है कि विपक्षी अफसाना बेगम का मैके (नैहर) वार्ड संख्या – 02 में है, मतदाता सूची वार्ड नं0–2 में अफसाना बेगम पिता दरासत हुसैन दर्ज है। जबकि वार्ड नं0–13 में विपक्षी का ससुराल है जहाँ उसके परिवार के सभी सदस्यों का नाम वार्ड नं0–13 के मतदाता सूची में दर्ज है सिर्फ लिपिकीय भूलवश अफसाना बेगम के स्थान पर नाजरा बेगम हो गया, जबकि पिता का नाम मो0 रकीम उद्दीन दर्ज है तथा विपक्षी के पति, सास, ससुर, देवर, भैंसुर का नाम मतदाता सूची वार्ड नं0–13 में अंकित है व गृह संख्या भी – 01 है तथा घर मकान भी वार्ड नं0–13 में अवस्थित है।चूँकि विपक्षी अल्पसंख्यक मुसलमान वर्ग के है रीवाज के मुताबिक इनलोगों का विवाह शादी गाँव में एक ही टोले, मुहल्ले एवं परिवार में भी होता है तथा यहाँ विपक्षी का मैयके वार्ड नं0–02 है तथा ससुराल वार्ड नं0–13 है जिस तथ्य को अपीलार्थी स्वयं स्वीकार करती है तथा वाद पत्र में विपक्षी के पता में वार्ड नं0–13 की रहने वाली दर्शाती है। इससे पूर्णतः स्पष्ट है कि विपक्षी वार्ड नं0–13 की रहने वाली है। अपीलार्थी गलत रूप से भ्रामक स्थिति दर्शाते हुए न्यायालय को गुमराह करने की अनैतिक चेष्टा कर रही है।

श्रीमान के समक्ष बहस के दौरान अपीलार्थी गलत बयानबाजी किया है कि विपक्षी का आवासीय प्रमाण पत्र गलत है, के संदर्भ में कहना है कि विपक्षी का आवासीय प्रमाण पत्र संख्या – 17110, दिनांक 29.05.2013 का अंचल कार्यालय, महिषी का बना हुआ है, जो आम सभा दिनांक 21.06.2014 में मूल से मिलान कर सही पाकर चयन किया गया, जिस तथ्य को देखकर निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय होगा कि अपीलार्थी आवदा बेगम स्वयं फर्जीनामा कर गलत रूप से सेविका के रूप में अपना चयन करवाना चाहती है, जिस वजह से गलत दबाव आम सभा में बनायी व निम्न न्यायालय में तथा इस न्यायालय में भी तथ्य को छुपाकर वाद दायर की है।

जबकि अपीलार्थी आवदा बेगम स्वयं एक अयोग्य व अहर्त्ताहीन है, चूँकि वर्तमान में अपीलार्थी आपदा बेगम वार्ड नं0–15 के आँगनवाड़ी संख्या–90 में सहायिका के पद पर कार्यरत है, जो करीबन 10 वर्षों से कार्यरत है। वार्ड नं0–15 के मैपिंग पंजी में उसका नाम है तथा इसी वार्ड की निवासी है। अपीलार्थी स्वयं अपने अपील के कंडिका–07 में स्वीकार की है वह बतौर सहायिका कार्यरत है।

अपीलार्थी श्रीमती आवदा बेगम का कहना है कि आम सभा में आम जनता द्वारा यह भी आपत्ति व्यक्त की गई कि विपक्षी मोहनी खातुन पति रकीमउददीन के नाम से भेलाही ग्राम पंचायत में पैक्स के अन्तर्गत निर्वाचित सदस्य है तथा वह पंचायत की एक प्रतिनिधि भी है। अपीलार्थी एवं पोषक क्षेत्र के आम जनता द्वारा यह भी आपत्ति दर्ज की गई कि विपक्षी का नाम भेलाही ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या–02 के क्रमांक – 123 पर अफसाना बेगम पिता दरासत हुसैन दर्ज है तथा वार्ड संख्या – 13 में मो0 रकीमउद्दीन की कोई पत्नी अफसाना बेगम नहीं है। बल्कि रकीमउद्दीन की पत्नी का नाम नाजरा बेगम है। अपीलार्थी चयन प्राप्त करने के लिए जब बाल विकास परियोजना कार्यालय, महिषी पहुँची तो पता चला कि अपीलार्थी के स्थान पर विपक्षी श्रीमती अफसाना बेगम का चयन मनमाने एवं गलत रूप से कर लिया गया है। अपीलार्थी द्वारा विपक्षी के चयन को निरस्त करने की याचना की गई है। विपक्षी वार्ड संख्या – 13 की रहने वाली है व मैपिंग पंजी में गलत रूप से नाम दिया गया है। सर्वथा मिथ्या है। चूँकि अपीलार्थी स्वयं से विपक्षी का पता वाद पत्र में दर्ज की है। जिसमें साकिन–भेलाही टोला बहुरवा वार्ड संख्या – 13 दर्शायी है।

आम सभा कार्यवाही पंजी के प्रस्ताव संख्या – 02 एवं 04 में उल्लेखित है कि मैपिंग पंजी एवं मतदाता सूची में विपक्षी के ससुर का नाम है व सर्वसम्मति से विपक्षी का चयन किया गया। चयन बिल्कुल नियम संगत है। अपीलार्थी द्वारा गलत बयानबाजी कर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की गई है। अपील वाद के कंडिका – 07 में वर्णित तथ्यों से यह स्वतः जाहिर व साबित होता है कि अपीलार्थी आवदा बेगम स्वयं पोषक क्षेत्र से बाहर की रहने वाली है, चूँकि उन्होंने स्वीकार किया है कि व बतौर सहायिका दूसरे वार्ड में कार्यरत है। अपीलार्थी वर्तमान में बतौर सहायिका वार्ड संख्या – 15 के आँगनबाड़ी केन्द्र में है तथा वहाँ के मैपिंग पंजी में उसका नाम है तथा इसी वार्ड की भी वह निवासी है। इसलिए विपक्षी एकमात्र पोषक क्षेत्र से वर्ग बाहूल्य की सुयोग्य अभ्यर्थी थी, जिसका चयन किया गया। जो सही है। विपक्षी वार्ड संख्या – 13 की स्थायी निवासी है। उसके पति, सास, ससुर का नाम मतदाता सूची में दर्ज है तथा विपक्षी अफसाना बेगम के नाम से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत पहचान

28.1.18

पत्र है, जिसका पहचान पत्र नं०–ZP10125732 निर्गत तिथि 29.07.2010 है। महज BLO के भूल से अथवा लिपिकीय भूलवश अफसाना बेगम के जगह मतदाता सूची में नाजरा बेगम हो गया है। जबकि पति, सास, ससुर के साथ गृह संख्या भी एक है व पहचान पत्र में फोटो व मतदाता सूची में फोटो एक है। महज इस बात को लेकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है जो सरासर गलत है। विपक्षी के पति के नाम हरा राशन कार्ड वर्ष 2009 में निर्गत है, जिसके क्रमांक –01 पर विपक्षी का नाम है व परिवार सहित फोटो है। विपक्षी भेलाही पंचायत के वार्ड संख्या – 02 भेलाही की बेटी है। इसलिए मतदाता सूची में पिता का नाम दर्ज है। जबकि वार्ड नं०–13 टोला बहुरवा में विपक्षी का ससुराल है। जहाँ स्थायी रूप से अपने पति रकीमउद्दीन, सास, ससुर के साथ रहती है। इसलिए अपीलार्थी का कथन गलत है कि विपक्षी दूसरे वार्ड की रहने वाली है। अपीलार्थी का वाद बिल्कुल निराधार है व तथ्यहीन आधार पर दायर किया गया है। जो खारीज योग्य है।

अपीलार्थी श्रीमती आवदा बेगम का मेधा अंक – 65.58% है। दोनों अल्पसंख्यक वर्ग से है। ग्राम सभा कार्यवाही पंजी में श्रीमती अफसाना बेगम के चयन के विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय अभिलेख एवं संलग्न कागजातों का भी अवलोकन किया। आँगनवाड़ी केन्द्र का पोषक क्षेत्र अल्पसंख्यक वर्ग बाहुल्य है। अपीलार्थी दूसरे वार्ड में वतौर सहायिका कार्यरत है। सेविका पद पर श्रीमती अफसाना बेगम, पति मो० रकीमउद्दीन जो अल्पसंख्यक वर्ग से है का किया गया चयन सही प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई.सी.डी.एस.), सहरसा द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेत्र की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतएव प्रस्तुत अपीलवाद खारीज (Dismiss) किया जाता है। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

29.1.18
समाहर्त्ता,
सहरसा।

29.1.18
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 55-2 / न्याय0, सहरसा, दिनांक 08-03-2018

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ~~जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०~~ आई० टी० मैनेजर, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
08.03.18